

01/12/2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अगस्त 2021 के तहत  
 कैंप स्थल मा.नि. रा. गां. सेवा केन्द्र ता.पं. पटवारी  
 का वास में पेश हुई वकील वादी उप. वकील वादी ने  
 ज.पत्र वाबत दावा विद्वा पेश कर निर्दिष्ट किया कि वादी  
 लोक अदालत की मावना से उदित होकर उक्त उनवनी  
 पण्डा को आगे नही चलावा चाहता है। इसलिये दावा  
 विद्वा प्रमाणों की कृपा करे। वकील वादी का ज.पत्र  
 वाबत दावा विद्वा न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दावा  
 विद्वा स्वरूप प्रेष किया जाता है। उक्त में आगे  
 कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। पत्रवली फ़ैसल सुकार होकर  
 तम्बल से कम हो तथा वाद तत्कालीन दाखिल इफ्तार हो।  
 निर्णय मजमें आम सुवाशा गया।



(राकेश कुमार) RAS  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खण्डेला (सीकर)

Handwritten signature and initials on the right margin.